

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

:: सूचना ::

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक (Right to Service Bill)
प्रारूप पर सुझाव देने हेतु अनुरोध

राज्य सरकार "झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक" कानून बनाने के लिए कृतसंकल्प है और इससे संबंधित विधेयक को आगामी विधानमंडल सत्र में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस विधेयक के प्रारूप को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in के अन्तर्गत **Personnel.A.R.& Rajbhasha.Deptt.** पर देखा जा सकता है। साथ-ही-साथ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं के लिए निर्धारित समयावधि आदि से सम्बन्धित सूची भी उक्त वेबसाईट पर डाल दी गयी है, आम-जन अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के ई-मेल पता sec-pers-jhr@nic.in पर दे सकते हैं।

2. इस प्रस्तावित विधेयक की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नप्रकार है :-

- (i) राज्य सरकार समय-समय पर उन सेवाओं को अधिसूचित करेगी, जिसे इस कानून के अंतर्गत लागू करना है। साथ ही नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी (**Designated Officer**), प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकार तथा सेवाओं को प्रदान करने की निर्धारित समय-सीमा को भी अधिसूचित किया जायगा।
- (ii) **Designated Officer** को निर्धारित समय-सीमा के अंदर सेवाओं को प्रदान करना है और नहीं दिये जाने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ जा सकता है, जहाँ से **Designated Officer** को निर्देशित किया जा सकेगा कि आवश्यक सेवा उपलब्ध करायी जाय।
- (iii) इसके पश्चात् भी यदि सेवा नहीं प्रदान की जाती है तो द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है, जहाँ से निम्न निर्णय हो सकते हैं :-
 - (क) **Designated Officer** को निर्धारित अवधि के अंदर सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है।
 - (ख) **Designated Officer** एवं अन्य पर दंड लगाया जा सकता है।
 - (ग) प्रतिदिन देरी के लिए भी 250/- रू० प्रतिदिन की दर से दंड लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5000/-रू० की सीमा के अन्तर्गत होगा।
 - (घ) व्यतिक्रमी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जा सकती है।
- (iv) राज्य सरकार के पास यदि कोई आवेदन आता है जिसमें सेवा निर्धारित समय-सीमा के अंदर नहीं किये जाने की शिकायत हो, तो राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि उस आवेदन को सीधे ही द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भेज दे।

(v) सार्वजनिक रूप से उक्त विधेयक के सम्बन्ध में आमजनों को अवगत कराने हेतु विधेयक का प्रारूप सभी उपायुक्तों/अनुमण्डल पदाधिकारियों को सूचना पट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आम-जन विधेयक के संबंध में सुझाव या प्रतिक्रिया संबंधित जिला के उपायुक्त/अनुमण्डल कार्यालय में दे सकते हैं।

3. विधेयक के संबंध में अपने सुझाव/प्रतिक्रिया ई-मेल sec-pers-jhr@nic.in के माध्यम से अथवा निम्न पते पर भी भेजे जा सकते हैं। आशा है कि आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया/सुझाव सूचना प्रकाशन के 10 दिन के भीतर प्राप्त होंगे जो इस विधेयक प्रारूप को और अधिक परिष्कृत एवं प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

पता :-
प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक
सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड
सरकार, झारखण्ड मंत्रालय, राँची,
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा -
फैक्स नं०-

(आदित्य स्वरूप)
प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक-2/विविध-11-13/2011 का. 3805/ राँची, दिनांक 08 जुलाई, 2011
प्रतिलिपि- परियोजना पदाधिकारी, जैप०आई०टी०, धुर्वा, राँची को झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी विधेयक के प्रारूप की प्रति सीडी सहित संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि इस विधेयक प्रारूप को झारखण्ड सरकार के बेवसाईट पर अविलम्ब डाल दिया जाय।

प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक-2/विविध-11-13/2011 का. 3805/ राँची, दिनांक 08 जुलाई, 2011
प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग।

**JHARKHAND RAJYA SEWA DENE KI GUARANTEE VIDHEYAK, 2011
(DRAFT BILL)**

A Bill to provide for the delivery of services to the people of the State within the stipulated time and for matters connected therewith and incidental thereto.

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Bill may be called the Jharkhand Rajya Sewa Dene ki Guarantee Vidheyak, 2011.
(2) It shall extend to the whole of Jharkhand.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions. 2. In this Bill, unless the context otherwise requires :-
(a) "designated officer" means an authority including one belonging to the local self govt. notified as such for providing the service under Section 3;
(b) "eligible person" mean person who is eligible for notifies service;
(c) "first appeal officer" means an authority including one belonging to the local self govt. who in notified as such under Section 3;
(d) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Bill;
(e) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under Section 4;
(f) "service" means any service notified under Section 3;
(g) "second appellate authority" means an authority including one belonging to the local self govt. who is notified as such under Section 3;
(h) "State Government" means the Government of Jharkhand;
(i) "stipulated time" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notifies under Section 3;

Notification of services, designated officer, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits. 3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officers, second appellate authorities and stipulated time limits, area of the State to which this Bill shall apply.

Right to obtain service within stipulated time limit.

4. The designated officer shall provide the service notified, under Section 3 to the person eligible to obtain the service, within the stipulated time limit.

Providing services in stipulated time limit.

5. (1) Any application being filed for obtaining services notified under the act will be treated as application under the act. Stipulated time limit, if not explained otherwise in the notification under sec-3 shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application, Such application shall be duly acknowledged.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit provide service or reject the application and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate to the applicant.

Appeal.

6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit.

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filling the appeal in time.

(2) The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the specified period or may reject the appeal.

(3) A second appeal against decision of first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filling the appeal in time.

(4) (a) The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.

(b) Along with the order to provide service, the second appellate authority may impose penalty according to the provisions of section 7.

(5) (a) If the designated officer does not comply sub-section (1) of section 5, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to the first appeal officer. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.

(b) If the designated officer does not comply the order of providing the service under sub-section (2) of section 6, then the applicant aggrieved from such non-compliance may submit an application directly to second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of second appeal.

(6) The first appeal and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :-

(a) requiring the production and inspection of documents;

(b) issuing summons for hearing to the designated officer and appellant; and

(c) any other matter which may be prescribed.

Penalty.

7. (1)(a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose a lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees.

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then the may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees.

Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and more than 5000 rupees.

Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty.

(4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Bill, without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.

(5) The penalty so imposed will be in addition to that prescribed in any other act, rules, regulations and notifications already existing.

Penalty amount to be deducted from the salary.

8. The penalty so imposed under 7(1) or 7(2) will be deducted from the salary of the designated officer and the first appeal officer and their concerned subordinate staff in the proportion as decided by the Department having jurisdiction relating to the service. The concerned Departments will issue standing instructions detailing for this purpose the proportion of penalty to be borne by the designated officer and the first appeal officer and their subordinate staff.

Revision.

9. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Bill, may make an application for revision to the officer nominated by the State Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application according to the prescribed procedure:

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days, if it is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause.

Constitution of State Public Delivery Service Commission.	10. The state government may constitute a State Public Service Delivery Commission by notification in an official gazette, having a prescribed composition, and may assign to it functions for achieving the objectives of the act.
Power of the State Government to send the applications to Second Appeal Authority directly.	11. Notwithstanding the other provision of the act, the government, if it gets an application alleging non compliance of the provisions, may send the same directly to the Second Appellate Authority for taking further actions as per the act.
Protection of action taken in good faith.	12. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Bill or any rule made thereunder.
Powers to make rules	13. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Bill. (2) Every rule made under this Bill by the State Government shall be laid before the State Legislature.
Power to remove difficulties	14. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Bill, the State Government may by order, not inconsistent with the provisions of this Bill, remove the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencements of this Bill.

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक, 2011

(विधेयक प्रारूप)

राज्य की जनता को नियत समय-सीमा में सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए एक विधेयक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
1. (1) यह अधिनियम, 'झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011' कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।
- परिभाषाएँ ।
2. इस अधिनियम में, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
“(क) नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी” से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन सेवा उपलब्ध करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकार और इनमें स्थानीय स्वायत्त शासन का कोई शामिल है;
(ख) “ पात्र व्यक्ति” से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र हो;
(ग) “प्रथम अपीलीय पदाधिकारी” से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जो धारा-3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन का कोई शामिल है;
(घ) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित;
(ङ) “सेवा का अधिकार” से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;
(च) “द्वितीय अपीलीय प्राधिकार” से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जो धारा-3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया और इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन का कोई शामिल है;
(छ) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
(ज) “नियत समय-सीमा” से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा सेवा उपलब्ध कराने या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने हेतु अधिकतम समय।
- नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार तथा नियम समय-सीमा की अधिसूचना ।
3. राज्य सरकार, समय-समय पर सेवाओं, नामनिर्दिष्ट पदाधिकारियों प्रथम अपीलीय पदाधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारों तथा नियत समय-सीमाओं राज्य का क्षेत्र जहाँ यह अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित करेगी।
- नियत समय-सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार ।
4. नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, नियत समय-सीमा में, सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को धारा-3 के अधीन अधिसूचित सेवा उपलब्ध करायेगा।

नियम समय-सीमा में सेवाएँ उपलब्ध कराना।

5. (1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित सेवाओं के लिए समर्पित किये गये किसी आवेदन को अधिनियम के अधीन आवेदन माना जायेगा। नियत समय-सीमा, यदि धारा-3 के अधीन अधिसूचना में अन्यथा स्पष्ट नहीं किया हुआ है तो, उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी को या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समर्पित किया जाय। ऐसे आवेदन की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

अपील

6. (1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा-5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं की जाती है, आवेदन की अस्वीकृति, की तिथि या नियम समय-सीमा की समाप्ति के तीस दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(2) प्रथम अपीलीय पदाधिकारी नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि में सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश दे सकेगा या अपील नामंजूर कर सकेगा।

(3) प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील विनिश्चय किये जाने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष होगी :

परन्तु यह कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

(4) (क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी को ऐसी अवधि के अन्दर सेवा उपलब्ध करने का आदेश दे सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे या अपील नामंजूर कर सकेगा।

(ख) सेवा उपलब्ध करने के आदेश के साथ, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, धारा-7 के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(5) (क) यदि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी धारा-5 की उपधारा (1) का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा। इस आवेदन का निष्पादन प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी धारा-6 की उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अनुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा। इस आवेदन का निष्पादन द्वितीय अपील

की रीति से किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय प्रथम अपीलीय पदाधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को निम्नांकित मामलों में, वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय किसी सिविल कोर्ट को होता है, यथा –

(क) दस्तावेजों की प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण की अपेक्षा करने ;

(ख) नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी एवं अपीलकर्ता को सुनवाई के लिए सम्पन्न जारी करने; तथा

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

दंड।

7. (1) (क) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, सेवा उपलब्ध करने में असफल रहा है, तो वह कोई एकमुश्त दंड अधिरोपित कर सकेगा जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं एवं पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी ने सेवा उपलब्ध करने में विलम्ब किया है, तो वह ऐसे विलम्ब के लिए दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर से नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी पर दंड अधिरोपित कर सकेगा जो पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह कि उसपर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी को सुनवाई की युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, नियत समय-सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो वह प्रथम अपीलीय पदाधिकारी पर कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं तथा पाँच हजार से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह कि उस पर कोई दंड अधिरोपित किये जाने के पूर्व प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार यथास्थिति उपधारा (1) या (2) या दोनों, के अधीन अधिरोपित दंड में से अपीलकर्ता को ऐसी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दे सकेगा, जो अधिरोपित दंड से अधिक नहीं होगा।

(4) यदि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सन्तुष्ट हो कि नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने में, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, असफल रहा हो, तो वह उसके विरुद्ध, उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन, अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगा।

(5) अधिरोपित ऐसा दंड पूर्व से अस्तित्व वाले किसी अन्य अधिनियम, नियमावली, विनियमावली एवं अधिसूचनाओं में विहित किये गये के अतिरिक्त होगा।

दंड राशि की वेतन से कटौती । 8. धारा-7(1) या 7(2) के अधीन अधिरोपित ऐसे दंड की कटौती नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं उनके संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन से, उनकी सेवा संबंधी क्षेत्राधिकार वाले विभाग द्वारा आनुपातिक रूप से की जायेगी। संबंधित विभाग, नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी तथा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा धारण किये जाने वाले दंड के अनुपात के विस्तृत विवरण के प्रयोजनार्थ स्थायी अनुदेश जारी करेगा।

पुनरीक्षण ।

9. इस अधिनियम के अधीन दंड अधिरोपित किये जाने संबंधी द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, ऐसे आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के अन्दर, पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निष्पादन करेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पदाधिकारी साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा, यदि वह सन्तुष्ट हो कि पर्याप्त कारणों से आवेदन समय पर समर्पित नहीं किया जा सका।

राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन ।

10. राज्य सरकार, राज्यकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, विहित संरचनायुक्त एक राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करेगी, और उसे इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत्य सौंपेगी।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को सीधे आवेदन भेजने की राज्य सरकार को शक्ति ।

11. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार प्रावधानों के अनुपालन के आरोपों संबंधी आवेदन प्राप्त करती है तो उसे वह सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को, अधिनियम के अनुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज सकेगी।

सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण ।

12. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी चीज के लिए, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

नियमावली बनाने की शक्ति ।

13. (1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों दूर करने की शक्ति ।

14. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

Proposed Stipulated Time Limits for some of the services

Sr. No.	Name of Service	Designated Officer	Time limit for service	First appeal officer	Time limit for disposal of first appeal	Second appellate authority	Time limit for disposal of second appeal	
1.	विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निष्पादन	क) प्राप्त आवेदनों को सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	21 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
		ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त हाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार जाँच एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	21 दिन	जिला पदाधिकारी	15 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन
2.	विद्यालय/महाविद्यालय/ तकनीकी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की स्वीकृति	क) विद्यालय/ महाविद्यालय/ तकनीकी शिक्षण संस्थान से आवेदनों को अनुशंसा के साथ सक्षम प्राधिकार के समक्ष अग्रसारण	प्रधानाचार्य/ प्राचार्य/ संस्थान प्रमुख	संस्थान में प्रवेश/ आवंटन प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर	क) प्राथमिक विद्यालय/ मध्य विद्यालय के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 'BEO' ख) उच्च विद्यालय से ऊपर के शिक्षण संस्थान के लिए अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन

3.	विद्युत बोर्ड से संबंधित मामलो का निष्पादन	क) नया एल0टी0 विद्युत कनेक्शन	कार्यपालक अभियंता	30 दिन (जहाँ विद्युत बोर्ड की आधारभूत संरचना उपलब्ध हो)	अधीक्षण अभियंता	15 दिन	महाप्रबंधक	15 दिन
		ख) गलत विद्युत विपत्र में सुधार	सहायक अभियंता (राजस्व/ आपूर्ति)	क) यदि कोई नई सूचना की आवश्यकता नहीं हो- 24 घंटा ख) यदि अतिरिक्त सूचना या मीटर आदि जाँच की आवश्यकता हो- 7 दिन	कार्यपालक अभियंता	15 दिन	अधीक्षण अभियंता	15 दिन

		ग) सामान्य फ्यूज मरम्मति	सहायक अभियंता (राजस्व / आपूर्ति)	क) शहरी क्षेत्रों के लिए- 4 घंटा ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए- 24 घंटा	कार्यपालक अभियंता	15 दिन	अधीक्षण अभियंता	15 दिन
		घ) लाईन/केबल ब्रेक डाउन	सहायक अभियंता (राजस्व / आपूर्ति)	क) शहरी क्षेत्रों के लिए- 6 घंटा ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए- 36 घंटा	कार्यपालक अभियंता	15 दिन	अधीक्षण अभियंता	15 दिन
4.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करना	क) मेडिकल कॉलेज से भिन्न स्थानों पर पोस्टमार्टम	प्रभारी डॉक्टर	3 दिन	डिप्टी सुपरीटेंडेंट	15 दिन	सिविल सर्जन	15 दिन
		ख) मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम	प्रभारी डॉक्टर	3 दिन	विभागाध्यक्ष एनार्टमी	15 दिन	अधीक्षक मेडिकल कॉलेज	15 दिन

5.	जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना		प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	क) क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
			प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	ख) आवेदन सीधे प्राप्त होने पर 30 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
6.	आवासीय प्रामाण-पत्र निर्गत करना		प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	क) क्षेत्रीय कर्मचारियों की अनुशंसा के साथ आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
			प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	ख) आवेदन सीधे प्राप्त होने पर 30 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन

7.	आय प्रमाण- पत्र निर्गत करना		प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	क) क्षेत्रीय कर्मचारियों की अनुशंसा के साथ आवेदन प्राप्त होने पर 15 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
			प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी	ख) आवेदन सीधे प्राप्त होने पर 30 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
8.	परिवहन विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन	1) विविध चालक अनुज्ञप्तियों का निर्गमन / नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन
		2) चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का निर्गमन / इन्डोर्समेन्ट	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमंडलीय आयुक्त	एक सप्ताह
		3) चालक अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में संपरिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमंडलीय आयुक्त	एक सप्ताह

	4) अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञा पत्र का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	5) वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	6) निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीयक प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	7) निबंधन प्रमाण पत्र का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	8) अनापति प्रमाण पत्र का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	9) वाहन के स्वरूप में परिवर्तन संबंधी मामला	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह

	10) वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
	11) कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	3 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	3 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	3 दिन
	12) वाहनों का प्रत्यर्पण	जिला परिवहन पदाधिकारी	एक सप्ताह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एक सप्ताह	प्रमण्डलीय आयुक्त	एक सप्ताह
	13) कर माफी/वापसी के आवेदनों का विस्तार	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
	14) पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	1 माह	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
	15) परिवहन वाहनों का दुरुस्ती प्रमाण पत्र का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	10 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	10 दिन

		16) प्रत्यर्पित / दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जाँच प्रतिवेदन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	7 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	7 दिन
		17) दुरुस्ती प्रमाण पत्र का द्वितीय प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	10 दिन	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	10 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	10 दिन
9.	जन वितरण प्रणाली	क) दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना	अनुमंडल पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	उपायुक्त	15 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
		ख) दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर निलंबन मुक्ति / रद्द करने का निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	90 दिन	उपायुक्त	21 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
10.	नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय		अनुमंडल पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	60 दिन	उपायुक्त	21 दिन	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन
11.	दवा की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करना		अनुज्ञप्ति पदाधिकारी	30 दिन	सिविल सर्जन	15 दिन	औषधि नियंत्रक	15 दिन

12.	कृषि विभाग से संबंधित अनुज्ञप्तियों को निर्गत करना	क) खाद की खुदरा दुकान	जिला कृषि पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	संयुक्त निदेशक, कृषि	15 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन
		ख) बीज की खुदरा दुकान	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	जिला कृषि पदाधिकारी	15 दिन	संयुक्त निदेशक, कृषि	15 दिन
		ग) कीटनाशी की खुदरा दुकान	जिला कृषि पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	संयुक्त निदेशक, कृषि	15 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन
13.	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित प्रमाण- पत्र को निर्गत करना	क) दुकान का निबंधन प्रमाण- पत्र	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		ख) दाल मिल / आटा चक्की कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन औद्योगिक प्रतिस्थान आदि की अनुज्ञप्ति	कारखाना निरीक्षक	30 दिन	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	15 दिन	मुख्य कारखाना निरीक्षक	15 दिन
		ग) ठेका मजदूर (वि० एवं उ०) अधि०	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		घ) मोटर परिवहन कर्मचारी अधि०	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		ड.) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों) का नियमन अधि०	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		च) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त का नियमन) अधि०	श्रम अधीक्षक	30 दिन	सहायक श्रमायुक्त	15 दिन	उप श्रमायुक्त	15 दिन
		छ) अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर (नियोजन) अधि०	उपायुक्त	30 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन	प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	15 दिन
14.	ईट भट्टा की अनुज्ञप्ति	क) ईट भट्टा की अनुज्ञप्ति निर्गत करना	जिला खनन पदाधिकारी / सहायक खनन पदा०	30 दिन	उप निदेशक, खान	15 दिन	निदेशक, खान	15 दिन
		ख) ईट भट्टा की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर रद्द करने / निलंबन मुक्ति पर निर्णय	जिला खनन पदाधिकारी / सक्षम अनुज्ञप्ति पदा०	30 दिन	उप निदेशक, खान	15 दिन	निदेशक, खान	15 दिन

15.	क्रशर चलाने की अनुज्ञप्ति	गिट्टी बनाने की अनुज्ञप्ति	जिला खनन पदाधिकारी	30 दिन	उप निदेशक, खान	15 दिन	निदेशक, खान	15 दिन
16.	आरा मशीन की अनुज्ञप्ति		प्रमंडलीय वन पदाधिकारी	30 दिन	वन संरक्षक	15 दिन	मुख्य वन संरक्षक	15 दिन
17.	पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	क) पासपोर्ट निर्गत करने हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
		ख) शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
		ग) सेवा में नियुक्ति हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
		घ) किसी प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन

18.	शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण हेतु आवेदन पर निर्णय		नगर निकाय के प्राधिकृत कार्यपालक पदाधिकारी	45 दिन	क) नगर निगम क्षेत्र में – नगर आयुक्त ख) नगर परिषद / नगर पंचायत क्षेत्र में – उप विकास आयुक्त	15 दिन	क) प्रमंडलीय आयुक्त ख) जिला पदाधिकारी	15 दिन
-----	---	--	--	--------	---	--------	--	--------
